न्यायालय अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, कम–10, जयपुर महानगर।

पीठासीन अधिकारी – सुरेश कुमार द्वितीय, आर0जे0एस0

नं0फौ0प्रकरण सं0–487 / 15 (664/05).

भारतीय मानक ब्यूरो, शाखा कार्यालय ई–52, तिरंजन मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर द्वारा एस.एस मीणा, संयुक्त निदेशक भारतीय मानक ब्यूरो, शाखा कार्यालय, जयपुर। .....परिवादी.....

बनाम

जितेन्द्र शर्मा पुत्र घासीलाल, जाति–ब्राह्मण, निवासी–गोविन्द नगर पश्चिम, आमेर रोड़, जयपुर प्रोपराईटर मैसर्स पंचोली मोटर्स एण्ड इलेक्ट्रीकल्स, 94, देव नगर, मुरलीपुरा, जयपुर।

.....अभियुक्त.....

अपराध अंतर्गत धारा–11 सपठित धारा–33
भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम – 1986

उपस्थितिः–
विद्वान अभियोजन अधिकारी वास्ते राजस्थान राज्य।
श्री सुरेश चन्द्र शर्मा अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त।

निर्णय **दिनांकः 04–06–2018**

4/6/18
अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट कम-10, जयपुर महानगर

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी भारतीय मानक ब्यूरो एक संवैधानिक व नियमित संस्थान है। अभियुक्तगण इलेक्ट्रिक मीटर का निर्माण का कार्य करते हैं। दिनांक 25 मार्च 2004 को, परिवादी ब्यूरो को टेलीफोन पर प्राप्त शिकायत के आधार पर परिवादी ब्यूरों के अधिकृत प्राधिकारी अभियुक्त सं0–01 के पते पर जाकर जॉच की गई। जॉच के दौरान यह पाया गया कि अभियुक्तगण द्वारा बिना लाइसेन्स प्राप्त किए अपने उत्पादन के कार्डबॉक्स पर "As per IS:13010 तथा "Jaipur Kwh meter, T ype P-1 Voltaze 240 v. 50 Hz, System. AC Single Phase, 2 wine Accuracy 7 class 2.0, MRP Rs. 380/- (ind. of all taxes) warranty 1 Year", उल्लिखित किया, जिसका अभियुक्तगण को कोई अधिकार नहीं था। क्यों कि विधिवत् एवं नियमानुसार लाइसेन्स प्राप्त किए बिना कोई भी व्यक्ति फर्म या संस्थान अपने उत्पाद पर As per IS:13010

मुख्य प्रतिलिपिक

मार्क अंकित नहीं कर सकता है। जॉच अधिकारी ने अभियुक्तगण के उक्त पते पर उपलब्ध ""7 Nos: AC electric watthour meters, 10, 2 wire 240 V, 50 HZ, As Per Is: 13010"" सैम्पल के तौर पर जब्त किए और जॉच रिपोर्ट ब्यूरों के जयपुर शाखा कार्यालय में प्रस्तुत की। उपरोक्त अन्वेषण रिपोर्ट दिनांक 25 मार्च 2004 ब्यूरों को प्राप्त जिसके सीजरमीमो पर अभियुक्तगण की ओर से छोटेलाल सुपरवाईजर एवं जितेन्द्र शर्मा प्रोपराईटर मैसर्स पंचोली मोटर्स एण्ड इलेक्ट्रीकल्स जयपुर ने हस्ताक्षर किये जिसके अनुसार अभियुक्तगण द्वारा निर्मित इलेक्ट्रीक मीटर के पैकिंग हेतु पपेर कार्टून्स पर फर्म के नाम के साथ एच पर आईएसः13010 मार्क का बिना किसी अधिकार एवं लाइसेन्स के प्रयोग किया गया। अभियुक्त सं0–01 ने पत्र दिनांक 26 मार्च–2004 द्वारा ऐसी गलती होना स्वीकार करते हुए पत्र ब्यूरों के जयपुर कार्यालय में प्रस्तुत किया है। इस प्रकार यह स्वीकृत तथ्य है कि अभियुक्तगण ने भारतीय मानक ब्यूरों अधिनियम की धारा–11 व 12 के तहत अपराध कारित किया है जो इस अधिनियम की धारा–33 व 34 सपठित धारा–482,486,487 एवं 488 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है।

न्यायालय द्वारा अभियुक्त जितेन्द्र शर्मा के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा–11 सपठित धारा–33 भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम–1986 में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

4/6/18

दिनांक–17–12–2009 को अभियुक्त को बाद प्रीचार्ज साक्ष्य धारा–11 सपठित धारा–33 भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम–1986 में आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो उसने उक्त आरोप से इन्कार कर अन्वीक्षा की मांग की।

मजिस्ट्रेट सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-10, जयपुर महानगर

प्रीचार्ज साक्ष्य पर प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह पी. डब्ल्यू–01 शिवराज सिंह, पी.डब्ल्यू–02 सुरेन्द्र सिंह यादव व पी.डब्ल्यू–03 सतीश कुमार गुप्ता के बयान लेखबद्ध करवाये गए।

अभियुक्त को धारा–313 दं0प्र0सं0 के तहत परीक्षित कराया गया तो उसने अपने विरूद्ध आयी साक्ष्य को गलत बताया और कोई साक्ष्य प्रतिरक्षा पेश नहीं की व अभिकथित किया कि उसके प्रति नरमी का रूख अपनाया जावे।

बहस अन्तिम सुनी गयी। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

न्यायालय द्वारा विचारणीय बिन्दु निम्न प्रकार से है:–

मुख्य प्रतिलिपिक
(प्रतिलिपि शाखा)
सीजेएम/एसीजेएम

1. आप अभियुक्त पंचोली मोटर्स एण्ड इलैक्ट्रीकल्स पर प्रोपराईटर की हैसियत से बिना अनुज्ञा–पत्र के अपने उत्पाद व बक्सों पर एच पर आई.एस 13010 के मार्क का प्रयोग कर रहे थे?

2. यदि हॉ तो इसका उचित दण्ड क्या होगा?

विद्वान अधिवक्ता परिवादी ने अपनी बहस के दौरान यह तर्क दिया है कि पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी से यह अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध धारा–11 सपठित धारा–33 भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम–1986 पूर्ण रूप से प्रमाणित है। अतः अभियुक्त को दोष–सिद्ध किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने बहस के दौरान यह तर्क दिया है कि प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध प्रस्तुत परिवाद में बाद प्रसंज्ञान प्रीचार्ज साक्ष्य ली गई तथा प्रीचार्ज साक्ष्य के पश्चात् अभियुक्त को आरोप सुनाया गया। अभियुक्त के द्वारा बाद आरोप गवाहान से जिरह की गई है। इस कारण से उक्त गवाहान की साक्ष्य नहीं पढ़ी जा सकती और साक्ष्य के अभाव में अभियोजन मामला साबित नहीं माना जा सकता। अतः अभियुक्त को धारा–11 सपठित धारा–33 भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम–1986 के अपराध में दोषमुक्त घोषित किया जावें।

प्रकरण में विनिश्चित बिन्दुओं को युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने का सिद्धिभार अभियोजन पक्ष का है। उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली पर आयी समस्त साक्ष्य का परिशीलन किया।

इस प्रकरण में परिवादी भारतीय मानक ब्यूरों शाखा कार्यालय, जयपुर के संयुक्त निदेशक की ओर से परिवाद प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रकरण में गवाह पी.डब्ल्यू–01 शिवराज सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में इन तथ्यों की पुष्टि की है कि उसे उप–महानिदेशक द्वारा अधिकार दिए जाने के कारण उसके द्वारा परिवाद पेश किया गया है। अधिकार पत्र प्रदर्शपी–04 है। अभियुक्तगण बिजली के मोटर निर्माण कार्य करते हैं। इसके प्रोपराईटर जितेन्द्र शर्मा हैं। इसमें प्रोपराईटर जितेन्द्र शर्मा है। अभियुक्तगण बिना वैध लाइसेन्स प्राप्त किए तिबजली के मीटरों का निर्माण किया एवं उस पर मार्का एज पर आई एस 13010 अंकित किया जिसका उनको अधिकार नहीं है। इसकी सूचना मुखबीर से जरिये टेलीफोन प्राप्त हुई थी। सूचना 25–03–04 को मिली थी। उस दिन मौके पर एस.एस यादव, एस.के गुप्ता एवं एस.धर गए थे। वहॉ पर एज पर आईएस–13010 मीटरों पर व पैकिंग पर लिखा होना पाया। सीजर मीमो प्रदर्शपी–01 है। अधिकारीगण द्वारा मौके से सात मीटरों को जब्त किया गया। रिपोर्ट ऑफ रेट एण्ड सर्च एण्ड सीजर प्रदर्शपी–दो है। अभियुक्त द्वारा दिनांक 26–03–04 को पत्र दिया जो प्रदर्शपी–03

है इसमें अभियुक्तगण द्वारा जुर्म स्वीकार किया गया है और इस पर 'ए'से'बी' अभियुक्त जितेन्द्र शर्मा के हस्ताक्षर हैं। जिरह में इस गवाह ने यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त फर्म के पास मीटर निर्माण का लाइसेन्स नहीं था। भारतीय मानक ब्यूरों द्वारा लाइसेन्स नहीं दिया गया। वे आई.एस. मार्का का लाइसेन्स देते हैं।

गवाह पी.डब्ल्यू–02 सुरेन्द्र सिंह यादव ने अपने सशपथ बयानों में इन तथ्यों की पुष्टि की है कि वह प्रमुख जयपुर शाखा कार्यालय के आदेशानुसार पुरी टीम के साथ पंचोली मोटर्स की फैक्ट्री में पहुँचे तो वहाँ मीटर के बॉक्स पर एज पर आई.एस अंकित है जो कि बीआईएस लिमिटेड 86 के अनुसार बिना लाइसेन्स के लिखा हुआ था। सीजर प्रदर्शपी–01 बनाया। रिपोर्ट ऑफ सर्च एण्ड मीमो प्रदर्शपी–02 है। जिरह में इस गवाह ने यह स्वीकार किया है कि वह जितेन्द्र शर्मा के साईन जानता है। प्रदर्शपी–03 पर जितेन्द्र शर्मा के साईन हैं।

गवाह पी.डब्ल्यू–03 सतीश कुमार गुप्ता ने अपने सशपथ बयानों में इन तथ्यों की पुष्टि की है कि वह प्रमुख जयपुर शहर के आदेश की अनुपालना में अभियुक्तगण की फैक्ट्री में पहुँचे। जहाँ पर पाया कि अभियुक्त बिना अनुज्ञा–पत्र के आई.एस.आई मार्का अपने माल पर लगा कर दुरूपयोग कर रहा है। इसकी सूचना 25–03–2004 को जरिये दूरभाष प्राप्त हुई। उसने सात बिजली के मीटर जब्त कर सीजर मीमो तैयार किया, जिस पर बिना अनुज्ञा पत्र प्राप्त किये आई.एस 1300 अंकित था। सीजर मीमो प्रदर्शपी–01 है। इसके बाद उनके द्वारा रिपोर्ट रेट एण्ड सीजर जो प्रदर्शपी–01 व प्रदर्शपी–02 बनाई गई। कार्यालय के पत्र दिनांक 26–03–2004 को प्रेषित किया जो प्रदर्शपी–03 है जिसमें अपना जुर्म स्वीकार करते यह लिखा है कि इस भूल के लिये श्रम किया जावे आगे से वे ये मीटर नहीं बनायेंगे। इस पर अभियुक्त प्रोपराईटर जितेन्द्र शर्मा के 'ए'से'बी' हस्ताक्षर हैं। जिरह में इस गवाह ने यह स्वीकार किया है कि रेड करने गए तो सील करने का सामान और उनकी सील साथ लेकर गए। सील एक बार ही इश्यू होती है। सात एनर्जी मीटर्स सील किए गए थे जिस पर आईएसआई मार्का 13010 और आईएसआई की स्टाम्प लगी हुई थी। जो मीटर सीज किए वो कम्पनी की पैकिंग में थे।

4/6/18

अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट
क्रम-10, जयपुर महानगर

अभियोजन–पक्ष की साक्ष्य एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त सामग्री का तुलनात्मक परिशीलन करने के उपरान्त न्यायालय के समक्ष स्थिति यह प्रकट होती है कि प्रकरण के साक्षीक्षण पी.डब्ल्यू–01 शिवराज सिंह, पी.डब्ल्यू–02 सुरेन्द्र सिंह व पी.डब्ल्यू–03 सतीश कुमार गुप्ता की साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि अभियुक्त पंचोली मोटर्स एण्ड इलेक्ट्रीकल्स पर बिना अनुज्ञा–पत्र के अपने उत्पाद व बक्सों पर एच पर आई.एस 13010 के मार्क का प्रयोग कर रहे थे। इस संबंध में सबसे अहम बिन्दु इस प्रकरण में यह उभर कर आया है कि अभियुक्त जितेन्द्र शर्मा ने पचोली मोटर्स एण्ड इलेक्ट्रीकल्स की हैसियत

मुख्य प्रतिलिपिक
(प्रतिलिपि शाखा)
सीजेएम/ऐसीजेएम

से एक पत्र प्रमुख भारतीय मानक ब्यूरो, जयपुर को लिखा है जो पत्रावली में प्रदर्शपी–03 पेश हुआ है। उक्त पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त जितेन्द्र शर्मा की ओर से ही यह पत्र लिखा गया है और उक्त पत्र प्रदर्शपी–03 पर अभियुक्त के 'ए से बी' हस्ताक्षर मौजूद हैं और इस पत्र में अभियुक्त की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि "अज्ञानतावंश उन्होंने आईएसआई इश्यू कराने से पहले इनका निर्माण कर लिया आगे के लिए निवेदन है कि वे ये मीटर नहीं बनायेंगे"। अतः उक्त पत्र से यह साबित होता है कि अभियुक्त जितेन्द्र शर्मा के द्वारा पंचोली मोटर्स एण्ड इलैक्ट्रीकल्स पर प्रोपराईटर की हैसियत से बिना अनुज्ञा–पत्र के अपने उत्पाद व बक्सों पर एच पर आई.एस 13010 के मार्क का प्रयोग किया गया है।

अतः उक्त प्रकरण के सभी साक्षियों एवं प्रदर्शित दस्तावेजों के आधार पर एवं सबसे अहम दस्तावेज प्रदर्शपी–03 से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध पूर्ण रूप से प्रमाणित होता है। अतः अभियुक्त धारा–11 सपठित धारा–33 भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम–1986 में दोष–सिद्ध किए जाने योग्य पाया जाता है।

5/6/18
(सुरेश कुमार द्वितीय)
अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट,
क्रम संख्या–10, जयपुर महानगर।

5/6/18
सजा के बिन्दु पर सुना गया। विद्वान् अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क है कि अभियुक्त का प्रथम अपराध है, उनके विरूद्ध पूर्व की दोष सिद्ध की कोई साक्ष्य प्रलेख पर प्रस्तुत नहीं हुई है। अतः अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ प्रदान किया जावे। विद्वान् विद्वान् अधिवक्ता परिवादी ने इसका विरोध किया। उभय–पक्ष को सुना गया। अभियुक्त का प्रथम अपराध है तथा उसके विरूद्ध कोई पूर्व दोष–सिद्धि की साक्ष्य प्रलेख पर प्रस्तुत नहीं हुई है लेकिन प्रकरण समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त को धारा–11 सपठित धारा–33 भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम–1986 के अपराध में परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाना न्यायालय न्यायोचित नहीं समझता है। इसलिए इन परिस्थितियों में न्यायालय अभियुक्त को निम्न प्रकार से दण्डित करता है:–

आदेशः–

अतः अभियुक्त जितेन्द्र शर्मा पुत्र घासीलाल, जाति–ब्राह्मण, निवासी गोविन्द नगर पश्चिम, आमेर रोड, जयपुर प्रोपराईटर मैसर्स पंचोली

मुख्य प्रतिलिपिक
(प्रतिलिपि शाखा)
न्यायालय, सीजेएम/एसीजेएम
जिला एवं सेशन

मोटर्स एण्ड इलेक्ट्रीकल्स, 94, देव नगर, मुरलीपुरा, जयपुर को आरोपित अपराध धारा–11 सपठित धारा–33 भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम–1986 में 5000/–(पाँच हजार) के अर्थ–दण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थ–दण्ड अभियुक्त 10(दस) दिवस का साधारण कारावास भुगतेगा। प्रकरण में जब्तशुदा मीटर को बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार नष्ट किया जावे।

4/6/18
(सुरेश कुमार द्वितीय)
अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट,
क्रम–10, जयपुर महानगर।
अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट
क्रम-10, जयपुर महानगर

निर्णय आज दिनांक 04–06–2018 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

4/6/18
(सुरेश कुमार द्वितीय)
अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट,
क्रम–10, जयपुर महानगर।
अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट
क्रम-10, जयपुर महानगर

प्रति–हस्ताक्षरित
सत्य प्रतिलिपि
15-6-18
प्रभारी अधिकारी
केन्द्रीय प्रतिलिपि शाखा
(सी.एम.एम./ए.सी.एम.एम. कोर्ट्स)
जिला एवं सेशन न्यायालय
जयपुर महानगर

मुख्य प्रतिलिपिक
(प्रतिलिपि शाखा)
सी.जे.एम./ए.सी.जे.एम. कोर्ट्स
जिला एवं सेशन न्यायालय